

## मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक समिति/04/2003/2013

भोपाल, दिनांक 5-4-2002

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(उत्पादन)

भोपाल

विषय :- निस्तार सुविधा के अन्तर्गत कूपों से तथा नाभिकीय डिपो से प्रदाय किये जाने वाले चट्टे ट्रेक्टर द्वारा परिवहन कराने की अनुमति देने विषयक।

—0—

राष्ट्रीयकृत वनोपज अन्तर्विभागीय समिति की बैठक दिनांक 19/2/2003 (अ.प्र.मु.व.स.उ. के विषय क्रमांक-4) में लिये गये निर्णय के अनुसार निस्तार सुविधा के अन्तर्गत कूपों से तथा नाभिकीय डिपो से प्रदाय किये जाने वाले चट्टे ट्रेक्टर द्वारा परिवहन कराने की राज्य शासन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान करता है एवं कूपों तथा नाभिकीय डिपो से निस्तार सामग्री के परिवहन हेतु ट्रेक्टर के उपयोग की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन को प्राधिकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.पी.सिंह)

पदेन उप सचिव

म0प्र0 शासन, वन विभाग

क्रमांक समिति/04/2003/2014

भोपाल, दिनांक 5-4-2002

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन वन विभाग भोपाल
2. महालेखाकार (क्रमांक-1) म0प्र0 ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 19-2-2003 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(के.पी.सिंह)

पदेन उप सचिव

म0प्र0 शासन, वन विभाग